पत्रांक—2प / GPDP-18-1 / 2018 / ......5937...... / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव,

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी बिहार।

पटना, दिनांक :- 20.09.2018

***विषयः*—02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना (जी०पी०डी०पी०) तैयार किए जाने एवं प्लान—प्लस में डाटा प्रविष्टि किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0—14016 / 02 / 2018—पी०सी० दिनांक 13 अगस्त, 2018 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ किया जाये।

उक्त पत्र, के माध्यम से ग्राम पंचायतों के द्वारा समाजिकएवं आर्थिक विकास का दृष्टिकोण रखते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से वर्तमान में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा किये जाने तथा 11वीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों पर आधारित तथ्यपरक आँकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत की आवश्यकताओं के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार किये जाने का निदेश प्राप्त है।

उक्त हेतु पंचायत स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों के प्रखंड / ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारियों की उपस्थिति दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाये। 'मिशन अंत्योदय' में उपयोग की गई प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत की संरचनात्मक, आर्थिक एवं मानव विकास के सूचकांकों के आधार पर रैकिंग की जाएगी। उक्त आँकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पहचान कर विकास में आ रही कमियों को दूर करने के संबंध में प्रभावी कार्ययोजना का निर्माण किया जायेगा । 'मिशन अंत्योदय' के माध्यम से आँकड़ों का एकत्रीकरण एवं समेकन माह सितम्बर, 2018 में पूर्ण कर लिया जाय ताकि 2 अक्टूबर, 2018 को आहूत होने वाले विशेष ग्राम सभा में उक्त आँकड़ों के आधार पर आवश्यकता की पहचान की जा सके तथा कार्ययोजना निर्मित की जा सके। प्रत्येक ग्राम में 2 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक तीन चरणों में ग्राम सभा आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायतों में एक दिन में एक ही ग्राम पचांयत में ग्राम सभा का आयोजना किया जायेगा। तीनों चरणों में आयोजित विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की आवश्यताओं के अनुरूप विकास की खाई (Gap) की पहचान करने, निर्मित जी.पी.डी.पी प्रारूप पर विचार विमर्श—करने तथा निर्मित प्रारूप को अनुमादित करने का कार्य किया जायेगा। तदोपरान्त अनुमोदित

लगातार

Scanned by CamScanner

कार्ययोजना प्लान–प्लस में डाटा प्रविष्टि का कार्य सम्पादित किया जायेगा। जी.पी.डी.पी नियोजन के अनुश्रवण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना पर विशेष पोर्टल (gpdp.nic.in) भी विकसित किया गया है, जिसपर वांछित सभी प्रतिवेदनों/आँकड़ों की प्रविष्टि की जायेगी।

उक्त के क्रम में दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 के मध्य वर्ष 2019–20 की वार्षिक कार्ययोजना/जी.पी.डी.पी. तैयार करने हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निम्नलिखित एजेण्डा विन्दुओं का कार्यान्वयन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए।

क्र0	एजेण्डा	समायावधि
1	प्रत्येक ग्राम पंचायतों में फेसिलिटेटर की नियुक्ति एवं प्रत्येक विभाग द्वारा Frontline worker/ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति	20 सितम्बर, 2018 तक
2	ग्राम सभा की बैठक के आयोजन एवं उसमें अधिकारियों/कर्मियों की उपस्थिति की समय–सारिणी निर्गत किया जाना ।	दिनांक 20 सितम्बर, 2018 तक
3	प्रखण्ड स्तर पर फेसिलिटेटर/जीविका समूह एवं अन्य कर्मियों का प्रशिक्षण।	20–24 सितम्बर, 2018 के मध्य
4	ग्राम पंचायत विकास योजना (वर्ष 2019–20) प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान के माध्यम से वातावरण निंमार्ण।	20 सितम्बर, 2018 से प्रारम्भ
5	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'मिशन अंत्योदय' की प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा अपलोडिंग का कार्य (इस संबंध में सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र सं0–Secy(RD/ Misc/2018, दिनांक 24 अगस्त, 2018 से ग्रामीण विकास योजना को पृथक से निर्देशित किया जा चुका है।)	.25–30 सितम्बर, 2018 तक
6	वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की तीन बैठकों का अनिवार्य रूप से आयोजन किया जाना। 4.1 ग्राम सभा के प्रथम बैठक में मिशन अंत्योदय की प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध करायी गयी सर्वेक्षण रिर्पोट का प्रस्तुतीकरण करना, वित्तीय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों का विवरण दिया जाना तथा आवश्यक आवश्यकताओं का निर्धारण/चिह्नीकरण। 4.2 द्वितीय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष अनिवार्य आवश्यकताओं को सम्मिलित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर ड्रफ्ट कार्ययोजना तैयार करना। विचार विमर्श के उपरान्त	दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर, 2018 तक

Scanned by CamScanner

	आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव प्राप्त करना । 4.3 तृतीय ग्राम सभा में पूर्व की ग्राम सभा द्वारा दिये गये निदेश के अनुरूप संशोधन के उपरान्त प्रारूप ग्राम पंचायत विकास योजना को अनुमोदित करना।	
7	अंतिम रूप से अनुमादित कार्ययोजना को प्लान—प्लस पर अपलोड किया जाना	15 दिसम्बर के पश्चात्

- उक्त रूप से निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण को एक अभियान के रूप में चलाते हुए ग्राम सभा की बैठक से पूर्व, ग्राम सभा की बैठक की अवधि में तथा ग्राम सभा के बैठक के पश्चात् की जाने वाली गतिविधियों को संलग्नक—1 पर उपलब्ध सूची के अनुसार कराया जाये।
- गतिविधियों के ससमय क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित प्रखण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति उत्तरदायी होगी।
- प्रत्येक विभाग कार्यक्रम अवधि में अपने विभाग से एक अधिकारी को कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित करेगा, जिनका पंजीकरण www.gpdp.nic.in पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जो कि अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे।
- जी.पी.डी.पी. निर्माण की प्रक्रिया में जन—जागरूकता, ग्राम सभाओं का आयोजन एवं रिर्पोटिंग का कार्य ऑनलाईन किया जाना है अतः इस प्रक्रिया में लगाए फेरिलीटेटर/जीविका समूह के सदस्य आदि व्यक्ति शिक्षित, क़म्प्यूटर एवं स्मार्ट फोन को संचालित करने में सक्षम हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए।
- ग्राम पंचातयों द्वारा ये अवश्य रखा जाए वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि से वार्षिक कार्ययोजना की कुल अनुमानित लागत 10—15 प्रतिशत अधिक रखी जाये। उदाहरणः यदि किसी ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष में 10 लाख रू0 प्राप्त होने की सम्भावना है तो उस ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजना की अनुमानित लागत 11—11.5 लाख रू0 से अधिक नही रखी जानी चाहिए।

अतः कृपया ग्राम पंचायत विकास योजना को जन अभियान बनाते हुए दिनांक 02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर के मध्य जिलों में ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण की उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

अनुलग्नकः—यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

19.9.18

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,

कृ०पृ०उ०

Scanned by CamScanner

ज्ञापांकः 2प / GPDP-18-1 / 2018 / ......5137......पं०रा०   पटना, दिनांक–.20./09../2018

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग / कृषि विभाग / स्वास्थ्य विभाग / जल संसाधन / योजना विकास विभाग / ग्रामीण विकास विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / शिक्षा विभाग / समाज कल्याण विभाग / सहकारिता विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / लघु सिंचाई विभाग / अनुसूचित जाति एवं जन–जाति विभाग / पिछड़ा एवं अति पिछड़ा विभाग / पशु एवं मत्स्य पालन विभाग / श्रम संसाधन विभाग / भवन निर्माण विभाग / उद्योग एवं प्रावैधिक विभाग / पथ निर्माण विभाग / उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग / ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः 2प / GPDP-18-1 / 2018 / ......5137......पं०रा०   पटना, दिनांक–.20./09./2018

प्रतिलिपिः मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः 2प / GPDP-18-1 / 2018 / ......5137......पं०रा०   पटना, दिनांक–.20./09./2018

प्रतिलिपिः सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.9.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,

Scanned by CamScanner

ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण, वर्ष 2019–20 के नियोजन हेतु उप–गतिविधियों का सूची

क्र0	चरण	गतिविधियाँ	उप–गतिविधियाँ	उत्तरदायी विभाग / संस्था	समयावधि
1.	ग्राम सभा की बैठक से पूर्व जिला स्तर की तैयारी	जिला स्तर पर अभियान संचालन हेतु रणनीति निर्धारण एवं प्रचार।	1. जिला स्तर पर वार्षिक कार्ययोजना 2019–20 के निर्माण एवं गतिविधियों के संचालन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन। 2. ग्राम सभा के आयोजन का रोस्टर । 3. जिला स्तर पर प्रखण्ड स्तरी पदाधिकारियों / कर्मियों का प्रशिक्षण। 4. पंचायत स्तर पर फेसिलिटेटर की नियुक्ति।	जिला पंचायत राज अधिकारी / जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।	18 सितम्बर से 20 सितम्बर 2018 तक।
			5. लाइन विभाग द्वारा Front Line workers / पर्यवेक्षकीय कर्मियों की प्रतिनियुक्ति जो विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होंगे।	सभी संबंधित विभागीय कार्यालय	
			प्रचार–प्रसार हेतु जिला में मीडिया कार्यशाला का आयोजन।	जिला पंचायत राज अधिकारी	20 सितम्बर से 30 सितम्बर 2018 तक।
2.	ग्राम सभा की बैठक के आयोजन से पूर्व की तैयारी.	ग्राम पंचायत विकास योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं ग्राम सभा की बैठक का एजेण्डा निर्गत किया जाना	1. ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रचार–प्रसार।	प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव	20 सितम्बर से प्रारम्भ
			2. निर्धारित एजेण्डा प्रारूप (संलग्न–2) पर ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की पूर्व सूचना दिया जाना।	ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायती सचिव।	
3.		मिशन अंत्योदय के एपलीकेशन पर ग्राम पंचायत का सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण एवं डाटा अपलोड किया जाना।	1. चयनित फैसिलेटेटर (एस.एस.जी. / रोजगार सेवक अथवा ग्राम विकास विभाग द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति), कार्यपालक सहायक का प्रशिक्षण।	प्रखंड विकास पदाधिकारी	20–24 सितम्बर 2018 के मध्य
			2. सर्वेक्षण कराया जाना एवं डाटा को अंत्योदय एप पर अपलोड किया जाना।	फैसिलेटेटर, मुखिया, कार्यपालक सहायक	30 सितम्बर 2018 तक
			3. लोक सूचना पट् (Public Information Board) का निर्माण एवं प्रकाशन।	ग्राम पंचायत मुखिया	30 सितम्बर 2018 तक
			4. सर्वेक्षण की रिपोर्ट को ग्राम पंचायत को 30 सितम्बर, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना।	फैसिलेटेटर, कार्यपालक सहायक	30 सितम्बर 2018 तक

Scanned by CamScanner

क्र0	चरण	गतिविधियाँ	उप–गतिविधियाँ	उत्तरदायी विभाग / संस्था	समयावधि
4	ग्राम सभा की बैठक के आयोजन की अवधि में किए जाने वाले कार्य	प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की तीन बैठकों के आयोजन। दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 को सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ विशेष ग्राम सभा आयोजित होगी। जबकि द्वितीय ग्राम सभा अक्टूबर माह के अंत में और तृतीय ग्राम सभा नवम्बर माह के अंत में आयोजित होगी। द्वितीय एवं तृतीय चरण में एक दिन में प्रखण्ड अंतर्गत किन्हीं एक ही ग्राम पंचायत में ग्राम सभा आयोजित की जायेगी।	1. एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 25 दिवस के अन्तराल पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन। ग्राम सभा की बैठक आयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलग्न–4 पर उपलब्ध है।	ग्राम पंचायत मुखिया / पंचायत सचिव	02 अक्टूबर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक।
5			2. ग्राम सभा की बैठकों में विभिन्न विभागों के फ्रन्ट–लाइन कर्मियों / पंचायत स्तरीय कर्मियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित् करना एवं उनके माध्यम से विभागीय योजना की जानकारी ग्राम सभा को देना।	जिला अंतर्गत सभी विभागीय कार्यालय	
6			3. ग्राम सभा का कार्यवाही लिखा जाना एवं बैठक की फोटोग्राफी एवं विडियोंग्राफी कराया जाना।	ग्राम पंचायत मुखिया / पंचायत सचिव	
7			4. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज (जी.पी.डी.पी. के दस्तावेज को तैयार करने हेतु आवश्यक विवरण की अनुक्रमणिका–संलग्न–4) तैयारी करना एवं सभी उपस्थिति दर्ज करना।	तथैव	
8			5. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट www.gpdp.nic.in पर रिपोर्टिंग का कार्य (रिपोर्टिंग प्रारूप संलग्न–5)।	प्रखंड विकास पदाधिकारी / फेसिलिटेटर / कार्यपालक सहायक एवं पंचायत सचिव	
9	ग्राम सभा की बैठक के आयोजन के पश्चात के कार्य	ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण रिपोर्टिंग।	1. ग्राम पंचायत विकास योजना का अंतिम दस्तावेज का प्रिंट आउट लेकर एक प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय में सुनिश्चित् रखना।	ग्राम पंचायत मुखिया एवं पंचायत सचिव	31 दिसम्बर, 2018 तक
10			2. ग्राम पंचायत विकास योजना में लिए गए कार्यों एवं गत वर्षो में कराए गए कार्यों को सामुदायिक स्थल पर अंकित किया जाएगा।		
11			3 प्लान–प्लस में जी0पी0डी0से चयनित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना संबंधित डाटा की प्रविष्टि	कार्यपालक सहायक / पंचायत सचिव एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	15 दिसम्बर 2018 के पश्चात

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक–2

जी.पी.डी.पी. के लिए विशेष ग्राम सभा के आयोजन का एजेण्डा

"हमारी योजना हमारा विकास"

बैठक की तिथि..............................
बैठक का स्थान..............................

ग्राम पंचायत का नाम.................................... एल.जी.डी. कोड..............................
प्रखण्ड कार्यालय का नाम.............................. जिला .... राज्य– बिहार

एजेन्डा: वार्षिक कार्ययोजना (वित्तीय वर्ष 2019–20) तैयार किया जाना।

- मीटिंग में सदस्यों प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति।
- एजेण्डा बिन्दु।

1. ग्राम पंचायतों के मुखिया ग्राम सभा की बैठक का उद्देश्य बतायेंगे।

2. ग्राम पंचायत सचिव जी. डी. पी. के उद्देश्य एवं परिकल्पना पर चर्चा करेंगे।

3. सुविधादाताओं द्वारा मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एकत्रित रैंकिंग पैरामीटर और डाटा की प्रस्तुती और सत्यापन किया जाना।

4. ग्राम सभा के समक्ष स्वयं सहायता समूहों/ग्राम आधारित संस्थाओं द्वारा गरीबी से संबंधित मुद्दों और गरीबी उन्मूलन की कार्य योजना संबंधित प्रस्तुतीकरण करना।

5. मिशन अंत्योदय में सर्वे के दौरान प्राप्त कमियों पर ग्राम सभा में चर्चा करना तथा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तीन वर्गो जैसे अति आवश्यक, वांछित में बांटा जाना।

6. संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243G की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से ग्राम पंचायत में समायोजित विषयों पर प्रस्तुतीकरण करना।

संविधान के अनुच्छेद–243G के अनुसार 29 विषयों की सूची।

11वीं अनुसूची

1. कृषि विकास एवं विस्तार।
2. भूमि विकास भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण।
3. पशुपालन दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्यपालन।
4. मत्स्य उद्योग।
5. लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है।
6. वन विकास।
7. लघु उद्योग जिसमें खाद्य उद्योग शामिल है।
8. ग्रामीण विकास।
9. पीने का शुद्ध पानी।

D:\ABHILASHA 2018\GPDP\GPDP Anup sir.docx

Scanned by CamScanner

10. खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
11. इधन एवं पशु धारा।
12. सड़क, पुल, तट, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन।
13. वन जीवन तथा कृषि खेतों (वनों मे)।
14. ग्रामीण बिजली व्यवस्था।
15. गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत।
16. यांत्रिक प्रशिक्षण एवं यांत्रिक शिक्षा।
17. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धि विद्यालय।
18. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
19. वयस्क एवं बुजुर्ग शिक्षा।
20. पुस्तकालय।
21. बाजार एवं मेला।
22. सांस्कृतिक कार्यक्रम।
23. अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें दवाखान शामिल हैं।
24. पारिवारिक समृद्धि।
25. सामाजिक समृद्धि जिसमें विकलांग एवं मानसिक समृद्धि शामिल है।
26. महिला एवं बाल विकास।
27. समाज के कमजोर वर्ग की समृद्धि जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों शामिल है।
28. लोक विभाजन पद्धति।
29. सार्वजनिक संपति की देखरेख।

7. वर्तमान वर्ष की गतिविधियों और फंड उपयोग की समीक्षा।
8. वित्तीय वर्ष 2019–20 में ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों पर चर्चा।
9. ग्राम सभा में कमियों (GPS) के कारणों पर चर्चा कर सकती है और कमियों को दूर करने हेतु गतिविधियों का प्रस्ताव दे सकती है।
10. ग्राम पंचातय में पायी कमियों के आधार पर ग्राम सभा गतिविधियों की प्राथमिकता तय करते हुए उन्हें जी0पी0डी0पी0 में सम्मिलित कर सकती है। जैसे संपत्ति का निमार्ण एवं रख–रखाव, कम लागत/बिना लागत (उदाहरण–समुदाय को 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ओ.डी.एफ./ओ.डी.एफ. प्लस, सामाजिक सौहार्द सामाजिक विषयों पर जागरूकता आदि)।
11 पंचायत की कमियों का विश्लेषण एवं प्राथमिकता निर्धारित करने के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जी.पी.डी.पी. में सम्मिलित करने वाली गतिविधियों को अंतिम रूप देना।
12 बुनियाद नागरिक सेवायें प्रदान करने संबंधि गतिबिधियों जैसे कि जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा जल निकासी सामुदायिक संपत्तियो का रख रखाव सड़कों का रख–रखाव, फुटपाथ सड़क प्रकाश व्यवस्था अन्त्येष्टि स्थल और श्मशान भूमि की योजना 14वें वित्त की धनराशि से की जाएगी।
13 ग्राम सभा विकास संबंधि गतिविधियों की प्राथमिकता सूचि पर एक प्रस्ताव पारित करेगी। यह प्रस्ताव ग्राम सभा के सामने पढ़ा जायेगा और तद्नुसार दस्तावेजीकरण किया जायेगा।
14 People's Plan Campaign Portal पर ग्राम सभा की जियो टैग फोटो अपलोड किये जायेगें।
15 सार्वजनिक सूचना बोर्ड के फोटो भी जियो टैग किये जायेंगे।

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक–3

जी0पी0डी0पी0 के लिए विशेष ग्राम सभा के दौरान ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी एवं संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति विवरण का प्रारूप
"हमारी योजना हमारा विकास"

विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा किये जाने वाले प्रस्तुतीकरण हेतु चर्चा के बिन्दुः–

1. विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विभाग की योजना का संक्षिप्त परिचय देते हुए योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभ के विषय में विस्तार से बताया जाएगा, साथ ही योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका एवं जी.पी.डी.पी. में समावेश करने की आवश्यकता को भी प्रस्तुत करेंगें।

क्र0सं0	योजना का नाम	योजनान्तर्गत अनुमोदित गतिविधियाँ	लाभार्थी चयन हेतु पात्रता के माप दंड	योजना के लाभ/मिलने वाले अधिकार

2. **वर्ष 2018–19 में ली गयी गतिविधियाँ एवं प्रगति समय–सीमा**

क्र0 सं0	गतिविधि का नाम	लाभार्थियों की सूची	गतिविधि वार प्रगति						
			प्रगति	समय–सीमा				व्यय धनराशि का विवरण व्यय	
			गतिविधि पूर्ण	गतिविधि प्रगति में	अभि प्रारम्भ नहीं	निर्धारित समय–सीमा	वास्तविक समय–सीमा	आवंटित राशि	उपयोग की गयी राशि

3. **वर्ष 2019–20 में ली जाने वाली गतिविधियाँ का विवरणः–**

क्र0सं0	गत वर्ष की संचालित गतिविधियाँ	नई ली जाने वाली योजना	प्रस्तावित कार्य योजना

4. प्रारूप की एक प्रति विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की बैठक के दौरान सौंप दी जायेगी।

D:\ABHILASHA 2018\GPDP\GPDP Anup sir.docx

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक-

ग्राम सभा की बैठक के आयोजन हेतु आवश्यक संभावित दस्तावेजों की सूची

1. ग्राम सभा की बैठक के आयोजन का एजेण्डा।
2. ग्राम पंचायत में जन्म एवं मृत्यु का विवरण।
3. ग्राम पंचायत का पारिस्थिति की सामाजिक आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट।
4. वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना/जी0पी0डी0पी0 का विवरण।
5. ग्राम पंचायत द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं कराए गए कार्यो का विवरण।
6. ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों (रिसार्स एनवलप) का विवरण (मानव संसाधन/ग्राम पंचायत की निधि/स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त धनराशि/सी.एस.आर. /विधायक निधि/सांसद निधि अथवा अन्य किसी योजना से प्राप्त धनराशि)।
7. ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यो के संबंध में शासन द्वारा निगत महत्वपूर्ण निर्देशों की प्रति।

Scanned by CamScanner

अनुलग्नक–5

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने का प्रारूप/दस्तावेज में सम्मिलित होने वाले विभिन्न आवश्यक विषय

1. अनुक्रमणिका
2. प्रस्तावना (ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता एवं ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षिप्त विवरण)
3. ग्राम पंचायत का संक्षिप्त परिचय (ग्राम पंचायत की पृष्ठभूमि, ग्राम पंचायत की प्रोफाइल, संरचनात्मक एवं भौतिक उपलब्धियों का विवरण।
4. बैठक का कार्यबिन्दु एवं प्रतिभागियों की सूची।
5. ग्राम पंचायत विकास योजना/वार्षिक कार्ययोजना में प्राथमिकता में लिए गए कार्यो का विवरण (कार्यो के विवरण में कार्यो में आने वाले व्यय, आय का स्त्रोत, निर्मित परिसम्परित का विरण, कम–आत/बिना–लागत के कार्यो का विवरण, क्षेत्रवार विवरण भी आवश्यक रूप से सम्मिलित रहेगा।
6. कार्यवार विवरण के साथ आपेक्षित परिणामों को भी ग्राम पंचायत विकास योजना का भाग बनाया जाना चाहिए।
7. सहभागी नियोजन हेतु किए गए मानचित्रीकरण अथवा अन्य पी0आर0ए0 गतिविधियों की प्रति।
8. ग्राम सभा की बैठक के फोटोगाफ्स।

Scanned by CamScanner